छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र

सोमवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

दुर्ग जिले में वाटरशेड की स्वीकृत परियोजनाओं पर व्यय राशि

1. (*क्र. 67) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में 2001 से 31-10-2006 तक वाटरशेड की कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुईं प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी थी ? (ख) प्रत्येक परियोजना में कितनी राशि व्यय की गयी एवं किन-किन कार्यों में व्यय की गयी ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2001 से 31-10-2006 तक एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) की 10 परियोजनाओं एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हुई है. स्वीकृत प्रत्येक परियोजना की लागत पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-एक'' के कॉलम-7 में दर्शित हैं. (ख) वर्ष 2001 से 31-10-2006 तक एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) अंतर्गत स्वीकृत 10 परियोजनाओं में कुल रु. 5450.86 लाख व्यय की गई है. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) अंतर्गत स्वीकृत 14 परियोजनाओं में कुल रु. 4891.62 लाख राशि व्यय की गई है. परियोजनावार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-दो'' में तथा कार्यवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-तीन'' में दर्शित है.

राजनांदगांव जनपद पंचायत में खनिज रायल्टी मद में प्राप्त राशि

2. (*क्र. 38) **श्री उदय मुदलियार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जनपद पंचायत को वर्ष 2004-05, 2005-06 में खनिज विभाग से रायल्टी मद में कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्राप्त राशि का आवंटन किन-किन कार्यों के लिए, किन-किन पंचायतों को कितना-कितना किया गया ? वर्षवार, पंचायतवार, राशिवार, कार्यवार जानकारी दें ? (ग) क्या सभी कार्य पूर्ण हो गए ? अगर नहीं, तो कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2004-05 में रुपये 18,78019/- एवं वर्ष 2005-06 में रुपये 17,85,791/-. (ख) प्राप्त राशि का आवंटन किसी भी कार्य के लिए किसी भी पंचायत को नहीं किया गया है. शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

छोटे बड़े झाड़ के जंगल के मद में संचालित खदाने बंद करने बाबत

3. (*क्र. 88) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खनिजों की खदान कहां-कहां संचालित है ? अनुज्ञप्तिधारियों के नाम सहित जानकारी दी जावे ? (ख) उक्त खदानों में से कौन-कौन से खदान खसरे में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज हैं ? (ग) छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि में संचालित खदानों को कब तक बंद कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खनिजों हेतु निम्नानुसार खदानें संचालित हैं :—

क्र.	खनिरियायत का प्रकार	संख्या	खनिरियायत का स्थान एवं धारक का नाम तथा विवरण
i	खनिपट्टा	26	पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' पर है.
ii	उत्खनिपट्टा	49	पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' पर है.
iii	अस्थाई अनुज्ञापत्र	40	पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' पर है.

(ख) उक्त खदानों मे से कोई भी खदान खसरा पांचसाला में छोटे-बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज भूमि में नहीं है. (ग) उपर्युक्त (ख) के प्रकाश में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि में कोई खदान संचालित नहीं होने से, बंद कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में दर्ज प्रकरण

4. (*क्र. 48) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2003 से 31-10-2006 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में पदस्थ कितने अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में प्रकरण दर्ज है ? नाम, पदनाम तथा दर्ज प्रकरण की तिथिवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितने अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी है ? नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2003 से 31-10-2006 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल मे पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में दर्ज प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	दर्ज प्रकरण की तिथि (4)
1.	श्री आर. पी. ठाकुर	अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (सिविल)	20-2-2004
2.	श्री रामप्रसाद नायक	सिविल पर्यवेक्षक श्रेणी-3	20-2-2004
3.	श्री नरेन्द्र कुमार नाग	कार्यालय सहायक श्रेणी-एक	5-12-2005
4.	श्री प्रशांत पान्से	कनिष्ठ यंत्री	28-7-2005
5.	श्री रामकिशन कौशिक	कनिष्ठ यंत्री	23-3-2006
6.	सुशील कुमार बाजपेयी	सहायक यंत्री (टीबीपीएस)	16-5-2006

(ख) श्री आर. पी. ठाकुर के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई. श्री आर. पी. नायक के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारधीन है. शेष 4 प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं मांगी गई है. अत: नाम, पदनाम सहित जानकारी निरंक है.

रोजगार गारण्टी योजना एवं अधोसंरचना के संबंध में

5. (*क्र. 159) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में किस-किस जिले को रोजगार गारण्टी योजना में शामिल नहीं किया गया है ? नाम सहित बतायें ? (ख) उक्त जिलों में अधोसंरचना के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? अलग-अलग बतायें ? (ग) 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्य के लिये खर्च की गयी बतायें? (घ) उक्त राशि से किस-किस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है अलग-अलग बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिला क्रमश: रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कोरबा एवं जांजगीर-चांपा शामिल नहीं है. (ख) निरंक. अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है,राशि का आवंटन उक्त जिलों को नहीं की गई है. (ग) प्रश्नांश-ख के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (घ) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

† परिशिष्ट "एक"

चांपा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कराये गये विद्युतीकरण

6. (*क्र. 137) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किन-किन ग्रामों एवं मोहल्लों में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके चयन के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) क्या लो वोल्टेज समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं बिगड़े ट्रांसफार्मर को बदलने की योजना है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम में किस-किस स्थान को इस हेतु चिन्हित गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चांपा जिले के शतप्रतिशत घरों तक विद्युत सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृत योजना में चांपा विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों के समस्त अविद्युतीकृत मोहल्लों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किये जाने का प्रावधान है. ग्रामों एवं मोहल्लों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाए गये हैं. (ख) उक्त योजना, लो व्होल्टेज समस्या के निराकरण अथवा बिगड़े ट्रांसफार्मरों को बदले जाने के लिए नहीं है,अत: इन कार्यों हेतु किसी ग्राम के किसी स्थान को चिन्हित किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जनपद पंचायतों को वृक्षारोपण के लिए राशि का आवंटन

7. (*क्र. 59) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वृक्षारोपण हेतु जनपद पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित की गई है ? (ख) यदि हां, तो आवंटित राशि का निर्धारण प्रति जनपद पंचायत किस आधार पर और किसके द्वारा किया गया ? (ग) महासमुन्द जिले में आवंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग हुआ ? अगर शेष है, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जिला पंचायतों द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत पंचायतों को आवंटत राशि में से वृक्षारोपण का कार्य भी लिया गया है. (ख) राशि का आवंटन वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर जनपद पंचायत के प्रस्ताव अनुसार संबंधित पंचायत द्वारा किया जाता है. (ग) महासमुंद जिले में जनपद पंचायतों को एस.जी.आर.वाय. अंतर्गत आवंटित राशि में से 78.83 लाख रुपये का उपयोग जनपद पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण कार्य में किया गया है. राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय विद्युत देयक

8. (*क्र. 33) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से 31 अक्टूबर, 2006 तक माहवार घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि एवं उद्योग उपभोक्ताओं को कितना विद्युत देयक दिया गया है और देयक के विरुद्ध माहवार विद्युत उपभोक्ताओं से कितना बिजली बिल वसूल किया गया है ? प्रतिमाह अलग-अलग बताने का कष्ट करेंगे ? (ख) माहवार कितनी राशि वसूल करना बाकी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा माह अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006 तक घरेलू, कृषि पम्प एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को जारी विद्युत देयकों एवं उन देयकों के विरुद्ध संग्रहित राशि की माहवार एवं अलग-अलग (उपभोक्ता श्रेणीवार) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) उक्त विद्युत देयकों के विरुद्ध माहवार बकाया राशि की जानकारी भी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है.

जिला राजनांदगांव के छुईखदान स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सक

9. (*क्र. 07) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के छुईखदान नगर में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कौन-कौन चिकित्सक पदस्थ हैं, तथा उनका वेतन आहरण किस स्वास्थ्य केन्द्र से किया जा रहा है ? (ख) क्या छुईखदान में 30 बिस्तर अस्पताल का भवन है यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब हुआ तथा 30 बिस्तर अस्पताल के अनुरूप पद निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी हां. 31-1-2003. समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

---

† परिशिष्ट "दो"

†† परिशिष्ट "तीन"

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में ट्रांसफार्मरों की स्थिति

10. (*क्र. 11) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण अंधेरा व्याप्त है ? यह भी बतायें कि उक्त ग्रामों में नया ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा ? (ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 11 ग्रामों में ट्रांसफार्मरों के जल जाने/खराब हो जाने के कारण उन ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बंद है. नियमानुसार इन ट्रांसफार्मरों से संबद्ध बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से, कुल बकाया राशि का कम से कम 25% भुगतान प्राप्त होने पर नये ट्रांसफार्मर लगाए जा सकेंगे, जिसके लिए निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 31 ग्रामों में लो व्होल्टेज समस्या होने की, वर्तमान में जानकारी है जिसके समाधान हेतु उन ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है. इन सभी ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगाने के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं जिनके कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं. ग्रामों के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए है.

बस्तर अंचल में टिन अयस्क की तस्करी के संबंध में

11. (*क्र. 63) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर अंचल में टिन अयस्क पाए जाने के कौन-कौन से स्थान चिन्हित हैं ? तहसीलवार नाम दें ? (ख) क्या इन स्थानों से टिन अयस्क की तस्करी होने की जानकारी/शिकायत शासन को मिली है ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ? (ग) टिन अयस्क की तस्करी या चोरी छुपी सप्लाई किए जाने की कार्यवाही पर अंकुश लगने के कौन-कौन से उपाय शासन ने किए हैं ? (घ) टिन अयस्क के संबंध में क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या अन्य राष्ट्रीय संस्थान के कोई निर्देश हैं ? अगर हां, तो क्या ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र-''अ'' में दर्शित है. (ख) जी हां. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र-''ब'' में दर्शित है. (ग) राज्य शासन द्वारा टिन अयस्क की तस्करी चोरी छुपी सप्लाई पर अंकुश लगाने के निम्नलिखित उपाय किये गये है :-

1. टिनधारित क्षेत्रों में 4 बेरियर लगाये जाकर अमला पदस्थ किया गया है, जिनमें टिन सहित समस्त खनिजों के परिवहन की नियमित जांच की जाती है.

2. केन्द्रीय उड़नदस्ता का गठन कर इन क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जा रही है तथा टिनधारित क्षेत्रों में अकस्मात जांच कर टिन के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के प्रकरण पकड़े जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं.

3. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा राजपत्र दिनांक 17-9-2002 के अधिसूचना के तहत दंतेवाड़ा/बस्तर जिलों में स्थानीय जनजाति के सदस्यों की समिति द्वारा एकत्रित टिन को सात क्रय केन्द्रों (पाड़ापुर, कटेकल्याण, बेरीकुपली, चित्तलनार, किकिरपाल, नेरली एवं चिकपाल) के माध्यम से क्रय किया जाता है. मई, 2006 से टिन अयस्क का क्रय मूल्य रु. 195/- प्रति कि. ग्रा. की दर से निर्धारित किया गया है.

4. कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य हैं. टास्क फोर्स द्वारा जिला स्तर के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण मामलों की समीक्षा कर समुचित कार्यवाही कराई जाती है.

5. राज्यस्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है जिसके द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों तथा इस संबंध में जिला स्तर एवं केन्द्रीय उड़नदस्ता द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाती है.

(घ) जी नहीं.

---

† परिशिष्ट ''चार''

†† परिशिष्ट ''पांच''

वीरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के सम विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

12. (*क्र. 53) **मोहम्मद अकबर** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वीरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 31-10-2006 की स्थिति में सम विकास योजना के अंतर्गत कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? (ख) उक्त कार्य किस-किस विभाग के द्वारा किस-किस माध्यम से, कराया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-6 एवं 7 में दर्शित है.

कलेक्टर सरगुजा द्वारा बालकों के स्वीकृत बाक्साईट खनिज पट्टे के संबंध में

13. (*क्र. 2) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 140) दिनांक 31 जुलाई, 2006 के उत्तर में अध्यक्ष भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा को दिनांक 16-6-2006 को नोटिस जारी कर उत्तर 60 दिन में मांगा गया है ? (ख) क्या कंडिका ''क'' के नोटिस का जवाब बालको से आ चुका है ? यदि हां, तो कब एवं परीक्षण कब तक कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) जी हां. बालको से नोटिस का उत्तर दिनांक 24-7-2006 को प्राप्त हुआ है. निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है.

शासन द्वारा मुख्य खनिजों का खनिज पट्टा लीज पर देने संबंधी

14. (*क्र. 39) **श्री उदय मुदलियार** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे छ. ग. शासन द्वारा किन-किन व्यक्ति/संस्थाओं/कम्पनी/फर्मों को 1 अप्रैल, 2004 के पश्चात् 31 अक्टूबर, 2006 तक किन-किन मुख्य खनिजों का खनिज पट्टा लीज पर देने हेतु केन्द्र शासन को अनुशंसित किया गया है ? अनुशंसित प्रकरणों में किन-किन संस्थाओं/कंपनी/फर्मों को किस-किस मुख्य खनिज के लिए कितने-कितने हेक्टेयर जमीन कितने-कितने वर्षों के लिए दी गयी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को 1179.826 हेक्टर क्षेत्र खनिज कोयला हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए मायनिंग लीज पर दिया गया है. शेष प्रकरणों में मायनिंग लीज स्वीकृत नहीं की गई है.

शिक्षा कर्मी भर्ती में फर्जी प्रमाण-पत्र जमा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

15. (*क्र. 89) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 में बिलासपुर जिले में किस-किस वर्ग के कितने पद शिक्षा कर्मियों के विज्ञापित किये गये, जनपद पंचायतवार जानकारी दी जावें ? (ख) आवेदन पत्र जमा करने वालों एवं चयनित शिक्षा कर्मियों में से कितने लोगों का खेल एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र फर्जी पाये गये हैं ? जनपद पंचायतवार जानकारी दी जावें ? (ग) क्या सभी संबंधितों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कराया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2006 में बिलासपुर जिले में शिक्षा कर्मी वर्ग-2 के विज्ञापित 1244 पदों का जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-अ'' में है. शिक्षा कर्मी वर्ग-एक एवं दो हेतु वर्ष 2006 में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है (ख) शिक्षा कर्मी पद में चयन के पूर्व आवेदन पत्र जमा करने वाले 5 तथा 168 चयनित शिक्षा कर्मियों के खेल एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं. जनपद पंचायतवार जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-ब'' एवं ''परिशिष्ट-स'' में है. (ग) जी नहीं. प्रत्येक प्रकरण का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है. परीक्षण के बाद ही एफ.आई.आर. दर्ज कराने का निर्णय लिया जा सकेगा. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट ''छः''

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

16. (*क्र. 49) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2003 से 31-10-2006 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कितने अधिकारी-कर्मचारी अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं ? नाम, पदनाम, प्रतिनियुक्ति पर जाने की तिथि व प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग/राज्य का नाम बतावें ? (ख) वर्ष 2003 से 31-10-2006 तक कितने अधिकारी-कर्मचारी अन्य राज्यों, विभागों, केन्द्र शासन से प्रतिनियुक्ति पर ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल'' में कार्यरत हैं ? नाम, पदनाम व मूल विभाग, राज्य का नाम बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2003 से 31-10-2006 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों को नहीं सौंपी गई है. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 2003 से 31-10-2006 की अवधि में केन्द्र शासन/अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है.

सिकासेर डैम में स्थापित पन बिजली परियोजना के संबंध में

17. (*क्र. 160) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिकासेर डैम (गरियाबंद) में स्थापित 24 करोड़ रुपये लागत के पन बिजली परियोजना में वर्ष 2006 में कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है ? (ख) क्या यह सत्य है, कि अक्टूबर 2006 में ट्रायल किया गया, जिसमें मात्र 4 घंटे तक बिजली उत्पादन हुआ है, यदि हां, तो क्या कारण है ? (ग) उक्त परियोजना में कब से पूर्ण बिजली उत्पादन होना प्रारंभ होगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सिकासार डैम में मंडल द्वारा स्थापित की जा रही पन बिजली परियोजना का कार्य पूर्णता पर है. सिकासार परियोजना (2×3.5 मेगावाट) की प्राक्कलित राशि रु. 33.22 करोड़ है. बिजली का उत्पादन मेगावाट में नहीं होता है. परियोजना के अंतर्गत स्थापित की गई 3.5 मेगावाट की दो इकाईयों से दिनांक 5-11-2006 तक 58,600 यूनिट बिजली का उत्पादन, परीक्षण संचालन के दौरान किया गया. (ख) जी नहीं. परियोजना के अंतर्गत स्थापित की गई 3.5 मेगावाट की प्रथम इकाई का 4.30 घंटे व दूसरी इकाई का 10.30 घंटे की अवधि के लिये ट्रायल किया गया. सामान्यतः इकाईयों का ट्रायल तकनीकी त्रुटियों के चिन्हांकन के लिये समय-समय पर विभिन्न समयावधि के लिये किया जाता है. (ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत स्थापित की गई दोनों इकाईयां विद्युत उत्पादन के लिये तैयार है. विद्युत का उत्पादन जल की उपलब्धता अनुसार किया जा सकेगा.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त राशि

18. (*क्र. 60) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश को राशि प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कितनी ? (ख) प्राप्त राशि का उपयोग कहां-कहां किया जाना है ? क्या मदवार उसका उपयोग हुआ है ? अगर हां, तो ब्यौरा दें. यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या प्राप्त राशि में गांवों के लिए स्वास्थ्य कार्ययोजना भी तैयार किया जाना था ? अगर हां, तो कितने गांवों हेतु योजना तैयार की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) जी हां. रुपये 34.89 करोड़. (ख) मितानिन चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, दवा पेटी क्रय, एफ.आर.यू. जिला स्वास्थ्य कार्ययोजना. जी हां.

मद	प्राप्त राशि	व्यय
मितानिन चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.10 करोड़	3.85 करोड़
दवा पेटी क्रय	12.39 करोड़	5.40 करोड़
एफ.आर.यू.	12.80 करोड़	0.00
जिला स्वास्थ्य कार्ययोजना	1.60 करोड़	0.80

प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

---

† परिशिष्ट ''सात''

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नई विद्युत दरें लागू किए जाने के संबंध में

19. (*क्र. 34) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने जो नई दरें लागू की है उसमें कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पिछली दरों की अपेक्षा कितनी वृद्धि की गई है और उद्योगों में पिछली दरों की अपेक्षा कितनी वृद्धि की गई है ? (ख) उपरोक्त दर लागू करने से उपभोक्ताओं पर प्रतिवर्ष कितना अनुमानित भार आवेगा ? (ग) नयी दर लागू होने से घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से कितने राजस्व की प्राप्ति शासन को होगी एवं उद्योगों को छूट देने पर विद्युत मंडल को कितना नुकसान होगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत दरें निर्धारित करने के लिये अधिकृत है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में दिनांक 1 अक्टूबर 2006 से लागू नई दरें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13-9-2006 के अनुसार है. कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई नई दरें पूर्व में प्रचलित दरों की तुलना में क्रमश: 1.06 प्रतिशत व 2.88 प्रतिशत अधिक है. मोटरयुक्त कृषि पम्पों की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. उद्योगों पर लागू की गई नई दरें पूर्व में प्रचलित दरों की तुलना में 1.55 प्रतिशत कम है. (ख) मण्डल में लागू की गई नई दरों के कारण वार्षिक आधार पर अनुमानत: रुपये 2740 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. जो पुरानी दरों के आधार पर प्राप्त राशि रुपये 2685 करोड़ की तुलना में 2.04 प्रतिशत अधिक है. राजस्व में वृद्धि मुख्यत: उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा विद्युत की खपत में वृद्धि के कारण अनुमानित है. आयोग के द्वारा अधिसूचित नई दरों के कारण उपभोक्ताओं पर औसतन 25 पैसे प्रति यूनिट की सकल कमी हुई है. (ग) राज्य शासन को वास्तविक विद्युत खपत के अनुसार विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर के एवज में राजस्व प्राप्त होता है. नई दर लागू होने के पश्चात् राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं व कृषि उपभोक्ताओं से चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. उद्योगों पर प्रयुक्त नई विद्युत दरों के कारण उस संवर्ग के उपभोक्ताओं से विद्युत मंडल को आंकलन के आधार पर 1797 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है, जो कि समान खपत पर विगत वर्ष की तुलना में 1.55 प्रतिशत कम है. इस प्रकार मण्डल को उद्योगों को प्रदायित विद्युत के एवज में लगभग 28 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होना संभावित है.

मुख्य अभियन्ता कार्यालय, राजनांदगांव, छ.ग. विद्युत मण्डल द्वारा क्रय सामग्री

20. (*क्र. 8) **श्री देवव्रत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. विद्युत मण्डल के मुख्य अभियन्ता (राजनांदगांव) कार्यालय राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में 01 नवम्बर तक कुल कितनी राशि की सामग्री, मशीनोरी तथा अन्य उत्पाद की खरीदी की गई तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया ? क्या उक्त सामग्री क्रय करने हेतु क्रय प्रक्रिया के तहत समाचार पत्रों में निविदा बुलाई गई थी ? (ख) छ. ग. विद्युत मण्डल के मुख्य अभियंता (राजनांदगांव) राजनांदगांव क्षेत्र द्वारा वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में कितनी राशि के 33 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. के सब स्टेशन निर्माण हेतु टर्न की पद्धति अंतर्गत कार्यादेश जारी किए गए ? क्या उक्त टर्न की पद्धति हेतु समाचार पत्रों में निविदा बुलाई गई थी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2005-2006 एवं 2006-07 में 31 अक्टूबर तक (माह नवंबर के समाप्त नहीं होने के कारण) कुल 94,04,584.00 रुपये की सामग्री खरीदी के विभिन्न क्रय आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें से 31 अक्टूबर 2006 तक 74,73,832.00 रुपये का भुगतान किया गया है. सामग्री खरीदी हेतु जारी किये गये उक्त क्रय आदेशों में से प्रत्येक क्रय आदेश 5 लाख रुपये से कम के हैं एवं छ. रा. विद्युत मण्डल के नियमानुसार 5 लाख रुपये तक सामग्री क्रय करने के लिए खुली निविदा (समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से) आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है. (ख) उक्त अवधि में 33/11 के.व्ही. सब-स्टेशन निर्माण हेतु टर्न की आधार पर कुल 2,09,15,487 रुपये राशि के कार्यादेश जारी किये गये. 132/33 के.व्ही. सब-स्टेशन निर्माण हेतु कोई कार्यादेश जारी नहीं किया गया है. 33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों का निर्माण कार्य टर्न की पद्धति से कराए जाने हेतु समय-समय पर मण्डल स्तर से खुली निविदा बुलाकर दर निर्धारित की जाती है एवं प्रभावशील निर्धारित दर पर मण्डल के सक्षम क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अर्हता प्राप्त ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किये जाते हैं, अत: इस हेतु पृथक से खुली निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिर्रा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने विषयक

21. (*क्र. 12) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यही सही है कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-बिर्रा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही विभाग में प्रचलित हैं ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय कब तक अस्तित्व में आ जायेगा ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम-बिर्रा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने संबंधी मांग पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) : (क) जी हां. कार्यवाही प्रचलन में है. समय-सीमा बतलाना संभव नहीं है. (ख) जी हां. विभागीय कार्यवाही प्रचलित है.

निजी पावर प्लांट द्वारा बिजली का प्रदाय

22. (*क्र. 64) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ में स्थापित उद्योगों/औद्योगिक इकाईयों को निजी पावर प्लांट द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? अगर हां, तो कब से और कितनी यूनिट ? (ख) क्या निजी कंपनियों द्वारा राज्य में विद्युत वितरण किए जाने की नीति है ? अगर हां, तो यह नीति कब बनाई गई ? इसके तहत कितने संस्थान विद्युत वितरण का कार्य कर रहे हैं ? (ग) क्या कंडिका (क) में वर्णित स्थान पर स्थापित उद्योगों की विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने की सूचना विद्युत सप्लाई करने वाली कंपनी ने दी है ? (घ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निजी पावर प्लांट जो विद्युत आपूर्ति कर रहा है, उन्हें बाद की तारीख से नियमानुसार लायसेंस देने की कार्यवाही की हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा पूंजी पथरा, जिला-रायगढ़ में स्थित जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में स्थापित 70 उद्योगों को 299 मेगावाट तक की विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी कर अधिकृत किया गया है. मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा निजी उद्योगों को दिनांक 4-9-2003 से विद्युत आपूर्ति की जा रही है. उत्पादन कर रही इकाईयों को दिनांक 4-9-2003 से दिनांक 31-10-2006 तक की अवधि में लगभग 87.96 करोड़ यूनिट विद्युत प्रदाय किया गया है. (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति/संस्था को विद्युत वितरण हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी कर अधिकृत किया जा सकता है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा क्रमश: भिलाई स्टील प्लांट को दिनांक 20-12-2005 तथा जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को दिनांक 29-11-2005 को विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति जारी की गई है. (ग) इण्डस्ट्रीयल पार्क में स्थापित उद्योगों के संघ यथा रायगढ़ इस्पात संघ, रायगढ़ के द्वारा प्रेषित ज्ञाप दिनांक 9-10-2006 के साथ जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा पार्क में स्थित एक इकाई मेसर्स बाबा श्री पुरूषोत्तम इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत आपूर्ति बंद किये जाने के संबंध में लिखे गये पत्र दिनांक 1-10-2006 की प्रति प्राप्त हुई है. (घ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को दिनांक 29-11-2005 को विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है. राज्य के विद्युत नियामक आयोग ने अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि के पूर्व कंपनी द्वारा विद्युत वितरण किये जाने के कार्य को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत दण्डनीय माना है एवं दण्डस्वरूप कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है.

बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के खदानों की अनुशंसाओं के संबंध में

23. (*क्र. 52) **मोहम्मद अकबर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र में डिपाजिट क्रमांक 1, 3 एवं 13 के लिए कहां-कहां के किसने-किसने, कब-कब कितने क्षेत्र के लिए लौह अयस्क खनन के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनि पट्टा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है ? (ख) उक्त आवेदकों में से किनको-किनको, कहां-कहां के कितने-कितने क्षेत्र का, किसके आदेश पर पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनिपट्टा प्रदाय करने हेतु अनुशंसा भारत सरकार को, कब-कब भेजी गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) (i) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' में दर्शित है. (ii) खनिपट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''दो'' में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' में दर्शित है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 159) के भाग (घ) की जानकारी]

अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम उत्कर्ष योजनांतर्गत प्राथमिकता वाले कार्यों की जानकारी

1. सी.सी. रोड निर्माण,
2. निर्मलाघाट निर्माण,
3. आंगनबाड़ी भवन निर्माण, बाउंड्री वाल सहित,
4. ग्राम पंचायत भवन निर्माण सह उचित मूल्य की दुकान,
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, बाउंड्री वाल सहित,
6. मुक्तिधाम निर्माण,
7. उचित मूल्य की दुकान,
8. हाई स्कूल भवन निर्माण.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 33) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

माह अप्रैल से अक्टूबर 2006 तक घरेलू, कृषि पम्प एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत देयकों, विद्युत देयकों की राशि, विद्युत देयकों के विरुद्ध संग्रहित राशि एवं बकाया राशि की माहवार जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	विद्युत देयक जारी करने का माह	जारी विद्युत देयक की राशि			जारी विद्युत देयक के विरुद्ध वसूल की गई राशि			बकाया राशि		
		घरेलू	कृषि पम्प	औद्योगिक	घरेलू	कृषि पम्प	औद्योगिक	घरेलू	कृषि पम्प	औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	अप्रैल 2006	1448.01	360.64	9106.33	1122.64	177.12	8677.00	325.37	183.52	429.33
2.	मई 2006	1409.67	380.08	9230.44	938.38	180.29	8877.97	471.29	199.79	352.47
3.	जून 2006	1319.38	396.36	9173.33	905.33	130.58	8814.12	414.05	265.78	359.21
4.	जुलाई 2006	1819.19	585.73	9461.33	1254.70	198.70	9001.21	564.49	387.03	460.12
5.	अगस्त 2006	2535.64	678.70	9864.18	1379.17	344.31	9405.29	1156.47	334.39	458.89
6.	सितंबर 2006	2764.97	561.13	9756.81	1533.12	260.40	9130.51	1231.85	300.73	626.30
7.	अक्टूबर 2006	1588.07	429.75	9129.95	792.94	192.93	5655.37	795.13	236.82	3474.58

टीप :- माह अक्टूबर 2006 में जारी विद्युत देयकों के विरुद्ध संग्रहण जारी है.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09(क्र. 07) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	छुईखदान स्वा.के. में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी का नाम	वेतन आहरण	रिमार्क
1.	डॉ. ए. के. खरे	प्रा. स्वा. केन्द्र गंडई	वर्तमान में छुईखदान प्रा. स्वा. केन्द्र स्वीकृत है उक्त स्वा. केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत है. उक्त पद के विरुद्ध डॉ. ए. के. खरे एवं डॉ. एम.जी.तिवारी के वेतन आहरण करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है.
2.	डॉ. एम. जी. तिवारी	प्रा. स्वा. केन्द्र साल्हेवारा	
3.	डॉ. कु. कुंति ठाकुर	प्रा.स्वा. केन्द्र उदयपुर	

प्राथमिक स्वा. केन्द्र उदयपुर

1.	डॉ. कु. लीला देवी रामटेके	प्रा. स्वा. केन्द्र उदयपुर

प्राथमिक स्वा. केन्द्र गंडई

2.	डॉ. आशीष शर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र गंडई

प्राथमिक स्वा. केंद्र साल्हेवारा

1.	डॉ. जी. एस. ठाकुर	प्रा. स्वा. केन्द्र साल्हेवारा

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 11) के भाग (ख) की जानकारी]

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सूची जहां, लो व्होल्टेज समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है

क्र.	ग्राम का नाम
1.	रोगदा
2.	खरताल
3.	कटौद
4.	जगमहंत
5.	मरकाडीह
6.	तालदेवरी
7.	सेमरिया
8.	अतरीद
9.	धनगांव
10.	उदेभांठा
11.	धरदेई
12.	केरा
13.	पामगढ़
14.	मुड़पार
15.	बसंतपुर
16.	बिर्रा
17.	करनौद
18.	खरौद
19.	नवागढ़
20.	चण्डीपारा
21.	कोड़ाभाट
22.	भिलौनी
23.	गोधना
24.	शिवरीनारायण
25.	डोंगाखरौद
26.	मिरदा
27.	तुस्मा
28.	सिउंड
29.	बुढ़ेना
30.	कुकदा
31.	खोखरी

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 63) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर अंचल में टिन अयस्क के चिन्हित स्थानों का विवरण

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)
1.	बस्तर	जगदलपुर	बड़े बोदेनार, काकलूर, बेनपाल, टहकवाड़ा, कनकापाल, बाड़नपाल, कोलन, बिसपुर, कापानार, कोकावाड़ा, जांजरपाल, सौतनार, कुड़रीपाल, नामा.
2.	दक्षिण बस्तर	कोन्टा	कुमाकोलेगं मुड़वाल, चितलनार, किकिरपाल, पुस्पाल, कुप्पीडीह, गोविन्दपाल, मड़कामिरास, कोकालपाल, मारजून, कलेपाल, मारेंगा, अमीरगढ़, लेण्ड्रा, लिटिरा, चीउरवाड़ा, चिरपाल.
3.	दक्षिण बस्तर	दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण, परचेली, मुनगा, चित्तपाल, बंडीपारा, हाथीखोदरा, मेटापाल, मरकानार, धुरली, भांसी, कुम्हाररास, गमावाड़ा, नेरली, बचेली, बड़े बचेली, पाड़ापुर, कोडेनार, बेयनपाल, रेंगानार, मसेनार, जिरका, वासनपुर, गंजेनार, बड़े कमेली, लखापाल, टेलम, टेटम, तुमकपाल, गुड़से, पालनार.

प्रपत्र "ब"

टिन खनिज की तस्करी रोकने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. (1)	दिनांक (2)	की गई कार्यवाही (3)	जप्त खनिज की मात्रा (4)	रिमार्क (5)
1.	10-11-2005	केन्द्रीय उड़नदस्ते द्वारा ग्राम बेरीकुपली, बाड़नपाल, चितलनार, किकिर पाल का भ्रमण कर ग्राम तोंगपाल में श्री सुभाष यादव के घर से अवैध रूप से संग्रहित टिन खनिज जप्त किया गया.	5.50 क्विंटल टिन अयस्क 5.00 क्विंटल कोलम्बाईट 12.50 क्विंटल स्लैग 10.00 नग कोरण्डम	प्रकरण थाना तोंगपाल जिला दन्तेवाड़ा में दर्ज किया गया. प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं.
2.	4-12-2005	ग्राम सुकमा में सहायक खनि अधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा 2 जीप वाहन जाँच किया गया तथा उसमें टिन खनिज अवैध रूप से परिवहन करते पकड़ा गया. भ्रमण के दौरान जाँच की गई.	337 कि. ग्रा. टिन अयस्क एवं कोलम्बाईट 387 कि. ग्रा. टिन अयस्क	प्रकरण थाना प्रभारी सुकमा जिला दन्तेवाड़ा में दर्ज किया गया. प्रकरण न्यायालय में लंबित है.

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 39) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य खनिजों के मायनिंग लीज हेतु केन्द्र शासन, खान मंत्रालय के पूर्वानुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 31 अक्टूबर, 2006 तक का विवरण

कोयला

क्र.	आवेदक का नाम व पता	जिला	ग्राम	रकबा (हेक्टर में)	पूर्वानुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्ताव दि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	कोरबा	चोटिया ब्लाक नं. 1 एवं 2	1215.025	4-12-2004

लौह अयस्क

1.	मे. जायसवाल निको लि0 नागपुर	कांकेर	बरबसपुर बरबसपुर	9.50 4.90	24-7-04 24-7-04
2.	मे. इस्पात गोदावरी	राजनांदगांव कांकेर	बोरियातिब्बू आरीड़ोंगरी	110.000 106.600	25-10-04 05-05-05
3.	मे. सत्यार्थ स्टील एण्ड पावर लि. रायपुर.	कांकेर	कलवर कलवर	19.750 20.000	09-12-04 27-08-05
4.	मे. कमर्शियल मिनरल्स दुर्ग	कांकेर	हाहालदी	19.000	01-07-04
5.	मे. पुष्प स्टील एण्ड माईनिंग	कांकेर	हाहालदी	215.00	05-05-05

बाक्साईट

1.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	बिसरपानी (नागाडांड)	12.106	22-8-2005
2.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	नर्मदापुर	47.812	22-08-2005
3.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	बरीमा	54.268	25-7-2005
4.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	बरीमा	4.610	6-5-2005
5.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	बरीमा	4.764	10-5-2005
6.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	लुरैना	4.430	10-5-2005
7.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	जशपुर	कांटाबेल	18.560	18-1-2005
8.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	बरीमा	4.304	10-5-2005
9.	मे. सी.एम.डी.सी. रायपुर	सरगुजा	केसरा	13.130	08-10-2004

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 49) के भाग (ख) की जानकारी]

छ. रा. विद्युत मंडल द्वारा वर्ष 2003 से 31-10-06 की अवधि में केन्द्र शासन/अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों का विवरण

क्र.	नाम सर्वश्री	मूल पदनाम	मूल विभाग का नाम जहां से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं ली गई	प्रतिनियुक्ति पर पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	अवधि	प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मनोरंजन कुमार	संचालक	आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार.	सदस्य (वित्त)	आदेश क्र. 203/265/सउवि/2002, दिनांक 06-11-02.	दो वर्ष	06-12-04
2.	संजय कुमार	उप-वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	दक्षिण पूर्व रेलवे	निदेशक (वित्त एवं लेखा)	(1) आदेश क्र. 1777 दि. 04-03-02.	दो वर्ष	
					(2) आदेश क्र. 273 दि. 28-01-04.	एक वर्ष	02-04-05
3.	खीरूराम राय	सहायक निदेशक-ग्रेड दो	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पश्चिम क्षेत्र विद्युत बोर्ड, मुंबई.	सहायक यंत्री	(1) आदेश क्र. 911 दि. 20-03-2003.	एक वर्ष	
					(2) आदेश क्र. 1255 दि. 29-04-04.	एक वर्ष	
					(3) आदेश क्र . 1828 दि. 24-04-05.	एक वर्ष	29-04-06
4.	श्रीमति आशा व्ही. देव	सहायक यंत्री	केरल राज्य विद्युत मंडल	सहायक यंत्री	आदेश क्र. 42 दि. 05-01-06.	एक वर्ष	निरंतर